FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): धनबाद P.S. (थाना): बाघमारा Year (वर्ष): 2026
   FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0031 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 17/02/2026 18:31 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	325
2	पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960	11(1)(a)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day (दिन): शुक्रवार Date From (दिनांक से): 13/02/2026 Date To (दिनांक तक): 13/02/2026
   Time Period (समय अवधि): पहर 1 Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 00:00 बजे

   (b Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):
   Date (दिनांक): 17/02/2026 Time (समय): 18:31 बजे

   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):
   Entry No. (प्रविष्टि सं.): 020 Date & Time (दिनांक और समय): 17/02/2026 18:31 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): ~~दक्षिण~~ पश्चिम, 03 किमी Beat No. (बीट सं.):
   (b) Address (पता): KHANUDIH, PS- BAGHMARA,DIST- DHANBAD
   (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
   Name of P.S. (थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
   (a) Name (नाम): RAKESH KUMAR RAM
   (b) Father's Name (पिता का नाम) : LATE SHIVNATH RAM
   (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 04/05/1990 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
   (e) UID No. (यूआईडी सं.):
   (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि):
   Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)

   (h) Address (पता):

1	वर्तमान पता	SUB INSPECTOR BAGHMARA PS,बाघमारा,धनबाद,झारखंड, भारत

2	स्थायी पता	SUB INSPECTOR BAGHMARA PS,बाघमारा,धनबाद,झारखंड, भारत

(i) **Occupation (व्यवसाय):**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):91-6206875784**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No.(क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	MAHAVIR MAHTO		पिता का नाम : LATE BAIJNATH MAHTO	1. KHANUDIH,बाघमारा,धनबाद, झारखंड,भारत
2	RAVINDRA MAHTO		पिता का नाम : GULAB CHAND MAHTO	1. KHANUDIH,बाघमारा,धनबाद, झारखंड,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10 **Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):**

11 **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में श्रीमान् थाना प्रभारी बाघमारा (धनबाद)विषयः-प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में । महाशय,सविनय निवेदन है कि मैं राकेश कुमार राम उम्र करीब 35 वर्ष पिता- स्व0 शिवनाथ राम वर्तमान में बाघमारा थाना में पु0अ0नि0 के पद पर पदस्थापित हुँ । भवदीय के द्वारा सनहा दर्ज करते हुए दिनांक- 13.02.2026 को ग्राम खानुडीह में एक कुता को मारपीट करने का वायरल विडियों क्लिप का जाँच भार मुझे सौंपा गया । उक्त कुता को मारने पीटने से संबंधित वायरल विडियो का जाँच करने हेतु ग्राम खानुडीह पहुँचा वहां के स्थानीय लोगों एवं ग्रामीणों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से पुछताछ एवं जाँच पड़ताल किया । जाँच पडंताल एवं पुछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि ग्राम खानुडीह में एक पागल प्रवृति के आवारा कुत्ता गाँव में लोगों के बीच दशहत मचा रखा था । उक्त आवारा कुता से लोग काफी परेशान थे । उसी क्रम में ग्रामीणों के द्वारा उक्त आवारा व पागल कुत्ते को गाँव से दुर भगाने के लिए लाठी एवं डंडो का भय दिखाकर भगाया जा रहा था । भगाने के क्रम में वह कुत्ता तार में फंस गया जिसके बाद गांव के दो व्यक्तियों के द्वारा उसे मारपीट किया गया । उक्त कुता को मारपीट से संबंधित घटना का ग्रामीणों के द्वारा विडियो क्लिप बनाया गया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है । वायरल विडियो क्लिप में उक्त कुता को मारपीट करते दिखने वाले व्यक्तियों के संबंध में स्थानीय लोगों एवं ग्रामीणों से पता करने पर ज्ञात हुआ कि दिनांक- 13.02.2026 को दो व्यक्ति उक्त कुता को मारपीट कर रहे हैं, उनका नाम (1) महावीर महतो, उम्र- करीब 49 वर्ष, स्व0 बैजनाथ महतो एवं (2) रविन्द्र महतो, उम्र- करीब 28 वर्ष, पिता- गुलाब चंद महतो, दोनों सा0 खानुडीह, थाना- बाघमारा, जिला- धनबाद है । उपरोक्त घटना के बाद वह कुत्ता गाँव से भाग कर कहीं अन्यंत्र चला गया था, जिसके वर्तमान स्थिति के बारे में आस - पास के लोगों से पुछा गया तथा उसका खोजबीन किया गया तो फिलहाल उक्त कुता के संबंध में या उसके वर्तमान स्थिति के संबंध में कुछ भी पता नही चल सका । इस प्रकार बेजुबान जानवार (कुता) के साथ मारपीट करना एक संज्ञेय अपराध है, जिसके लिये (1) महावीर महतो, उम्र- करीब 49 वर्ष, स्व0 बैजनाथ महतो एवं (2) रविन्द्र महतो, उम्र- करीब 28 वर्ष, पिता- गुलाब चंद महतो, दोनों सा0 खानुडीह, थाना- बाघमारा, जिला- धनबाद को आरोपित पाया गया है । अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कानुनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय । विश्वासभाजन(राकेश कुमार राम) पु0अ0नि0 बाघमारा थाना, धनवाद ।

13.Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है
or (या)

(1) Registered the case and took up the investigation:

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): SANTAN KUMAR YADAV Rank (पद): SI (Sub-Inspector
No.(सं.): 110114379277 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिए

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):
Transferred to STATE.(राज्य):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी ।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

17.02-26

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name Ajeet Kumar
Rank SI (Sub-Inspector)
No.(सं.):110113551264

सेवा में

श्रीमान् थाना प्रभारी

बाघमारा (धनबाद)

विषयः- प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन है कि मैं राकेश कुमार राम उम्र करीब 35 वर्ष पिता- स्व0 शिवनाथ राम वर्तमान में बाघमारा थाना में पु0अ0नि0 के पद पर पदस्थापित हुँ। भवदीय के द्वारा सनहा दर्ज करते हुए दिनांक- 13.02.2026 को ग्राम खानुडीह में एक कुत्ता को मारपीट करने का वायरल विडियों क्लिप का जाँच भार मुझे सौंपा गया। उक्त कुत्ता को मारने पीटने से संबंधित वायरल विडियो का जाँच करने हेतु ग्राम खानुडीह पहुँचा वहां के स्थानीय लोगों एवं ग्रामीणों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से पुछताछ एवं जाँच पड़ताल किया। जाँच पडंताल एवं पुछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि ग्राम खानुडीह में एक पागल प्रवृति के आवारा कुत्ता गाँव में लोगों के बीच दशहत मचा रखा था। उक्त आवारा कुत्ता से लोग काफी परेशान थे। उसी क्रम में ग्रामीणों के द्वारा उक्त आवारा व पागल कुत्ते को गाँव से दुर भगाने के लिए लाठी एवं डंडो का भय दिखाकर भगाया जा रहा था। भगाने के क्रम में वह कुता तार में फंस गया जिसके बाद गांव के दो व्यक्तियों के द्वारा उसे मारपीट किया गया। उक्त कुता को मारपीट से संबंधित घटना का ग्रामीणों के द्वारा विडियो क्लिप बनाया गया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल विडियो क्लिप में उक्त कुता को मारपीट करते दिखने वाले व्यक्तियों के संबंध में स्थानीय लोगों एवं ग्रामीणों से पता करने पर ज्ञात हुआ कि दिनांक- 13.02.2026 को दो व्यक्ति उक्त कुता को मारपीट कर रहे हैं, उनका नाम (1) महावीर महतो, उम्र- करीब 49 वर्ष, स्व0 बैजनाथ महतो एवं (2) रविन्द्र महतो, उम्र- करीब 28 वर्ष, पिता- गुलाब चंद महतो, दोनों सा0 खानुडीह, थाना- बाघमारा, जिला- धनबाद है। उपरोक्त घटना के बाद वह कुत्ता गाँव से भाग कर कहीं अन्यंत्र चला गया था, जिसके वर्तमान स्थिति के बारे में आस - पास के लोगों से पुछा गया तथा उसका खोजबीन किया गया तो फिलहाल उक्त कुता के संबंध में या उसके वर्तमान स्थिति के संबंध में कुछ भी पता नही चल सका। इस प्रकार बेजुबान जानवार (कुता) के साथ मारपीट करना एक संज्ञेय अपराध है, जिसके लिये (1) महावीर महतो, उम्र- करीब 49 वर्ष, स्व0 बैजनाथ महतो एवं (2) रविन्द्र महतो, उम्र- करीब 28 वर्ष, पिता- गुलाब चंद महतो, दोनों सा0 खानुडीह, थाना- बाघमारा, जिला- धनबाद को आरोपित पाया गया है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कानुनी कार्रवाई करने की कृप की जाय।

Registered Baghmara PS case No. 31/26 dated 17.02.26 u/s 325 BNS & Sec. 11(1)(a), The prevention of cruelty to Animal Act. SI Sonten kumar yadav will investigate this case.

विश्वासभाजन

Rakesh K. Ram
17/02/2026

(राकेश कुमार राम)

पु0अ0नि0

बाघमारा थाना, धनबाद।

[signature]
17.02.26
O/c Baghmara PS